

विज्ञापन सं. 13/2021

संघ लोक सेवा आयोग

निम्नलिखित पदों के लिए चयन द्वारा भर्ती हेतु

(वेबसाइट <http://www.upsconline.nic.in> के माध्यम से*)

ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.*) आमंत्रित करता है।

रिक्ति विवरण

1. (रिक्ति सं. 21091301625) गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय (नौसेना), डीजीक्यूए, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय में सहायक अभियंता (नौसेना गुणवत्ता आश्वासन) इलेक्ट्रिकल के पद के लिए दो रिक्तियां (अ.पि.व.-01, अनारक्षित-01)। ये रिक्तियां बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित जैसे बधिर और ऊंचा सुनने वाले के साथ अक्षमता अर्थात् ऊंचा सुनने वाले (एच एच), प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठरोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले के शिकार के साथ अक्षमता अर्थात् एक पैर प्रभावित (दायां या बायां) (ओ एल) उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त है। पद स्थायी है। सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप "ख" राजपत्रित, अननुसचिवीय। **वेतनमान:** 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-07। **आयु:** 30 वर्ष। **अनिवार्य योग्यताएं:** (क) **शैक्षिक:** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरी विषय में डिग्री। (ख) : **अनुभव:** विभिन्न मानकों और उनके निर्वचन की जानकारी सहित इंजीनियरी उपकरणों के गुणवत्ता आश्वासन / गुणवत्ता नियंत्रण / उत्पादन / विनिर्माण और परीक्षण में दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। **वांछनीय:** तकनीकी रिपोर्ट, तकनीकी ब्रीफ आदि तैयार करने के प्रयोजन से कम्प्यूटर प्रचालन में अनुभव। **टिप्पणी:** उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों को लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अर्हताओं में छूट दी जा सकती है। **कार्य :** अधिकारी गुणवत्ता आश्वासन, स्वीकृति, उपकरणों एवं भण्डार का निरीक्षण, दोष की जांच, परीक्षणों, इंडेंटो / करारों / आपूर्ति आदेशों के मसौदों का पुनरीक्षण, नमूनों की योजनाएं, उत्पादन इकाईयों से संपर्क स्थापित करना, गतिरोधों को दूर करना तथा गुणवत्ता में सुधार की पद्धतियों के लिए सुझाव देने के प्रति उत्तरदायी होंगे। **मुख्यालय :** भारत में कहीं भी सेवा प्रदान करने का दायित्व सहित नई दिल्ली। **अन्य शर्तें:** पद पर भर्ती होने वाले उम्मीदवार नई अंशदायी पेंशन स्कीम के अंतर्गत होंगे और चयनित उम्मीदवारों को तत्काल कार्यभार ग्रहण करना अपेक्षित होगा।

2. (रिक्ति सं. 21091302625) गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय (नौसेना), डीजीक्यूए, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय में सहायक अभियंता (नौसेना गुणवत्ता आश्वासन) यांत्रिक के पद के लिए तीन रिक्तियां (अ.ज.जा.-01, अनारक्षित-02)। ये रिक्तियां बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित जैसे बधिर और ऊंचा सुनने वाले के साथ अक्षमता अर्थात् ऊंचा सुनने वाले (एच एच), प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठरोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले के शिकार सहित अक्षमता अर्थात् एक पैर प्रभावित (दायां या बायां) (ओ एल) उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त हैं। पद स्थायी है। सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप "ख" राजपत्रित, (अननुसचिवीय)। **वेतनमान:** 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-07। **आयु:** 30 वर्ष। **अनिवार्य योग्यताएं :** (क) **शैक्षिक :** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिक इंजीनियरी विषय में डिग्री। **ख: अनुभव:** विभिन्न मानकों और उनके निर्वचन की जानकारी सहित इंजीनियरी उपकरणों के गुणवत्ता आश्वासन / गुणवत्ता नियंत्रण / उत्पादन / निर्माण और परीक्षण में दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। **वांछनीय :** तकनीकी रिपोर्ट, तकनीकी ब्रीफ आदि को तैयार करने के प्रयोजन से कम्प्यूटर प्रचालन में अनुभव। **टिप्पणी-I:** उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों को लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अर्हताओं में छूट दी जा सकती है। **टिप्पणी-II:** अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में यदि चयन के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत होता है कि इन श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले पर्याप्त उम्मीदवार इन समुदायों से उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, तो कारणों को लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करते हुए अनुभव से संबंधित योग्यताओं में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। **कार्य:** अधिकारी गुणवत्ता आश्वासन, स्वीकृति, उपकरणों एवं भण्डार का निरीक्षण, दोष की जांच, परीक्षणों, इंडेंटो / करारों / आपूर्ति आदेशों के मसौदों के पुनरीक्षण, नमूनों का नियोजन, उत्पादन इकाईयों से संपर्क स्थापित करना, गतिरोधों को दूर करना तथा गुणवत्ता में सुधार की पद्धतियों के लिए सुझाव देने के प्रति उत्तरदायी होंगे। **मुख्यालय :** भारत में कहीं भी सेवा प्रदान करने के दायित्व सहित नई दिल्ली। **अन्य शर्तें:** पद पर भर्ती होने वाले उम्मीदवार नई अंशदायी पेंशन स्कीम के अंतर्गत होंगे और चयनित उम्मीदवारों को तत्काल कार्यभार ग्रहण करना होगा।

3. (रिक्ति सं. 21091303625) एकीकृत मुख्यालय (नौसेना), असैन्य कार्मिक निदेशालय, रक्षा मंत्रालय में सिविल जल सर्वेक्षण अधिकारी के पद के लिए दो रिक्तियां (अ.पि.व.-01, अनारक्षित-01)। ये रिक्तियां बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित जैसे बधिर और ऊंचा सुनने वाले के साथ अक्षमता अर्थात् बधिर (डी) या ऊंचा सुनने वाले (एच एच), प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठरोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले के शिकार अर्थात् एक पैर प्रभावित (दायां या बायां) (ओ एल) उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त हैं। पद स्थायी है। सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "ख", राजपत्रित, (अननुसचिवीय)। वेतनमान: 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-07 । आयु: 30 वर्ष। अनिवार्य योग्यताएं : (क) शैक्षिक: सिविल या कंप्यूटर साइंस या सूचना प्रौद्योगिकी में इंजीनियरिंग डिग्री या गणित या भूगोल या भूभौतिकी या कंप्यूटर अनुप्रयोग या कंप्यूटर साइंस या सूचना प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री या उप-मंडल 1 (बी) हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण में सर्वेक्षक संस्था की अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण। (ख) अनुभव : समुद्री चार्ट संकलन और डिजिटल कार्टोग्राफी में दो साल का अनुभव। [यह अनुभव किसी सरकारी या स्वायत्त संगठन या वैधानिक निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान से होना चाहिए] । वांछनीय : (i) विदेशी भाषा अधिमानतः फ्रेंच भाषा में प्रमाणपत्र या डिप्लोमा। (ii) भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में कम से कम एक वर्ष का अनुभव। टिप्पणी : उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों को लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अर्हताओं में छूट दी जा सकती है। कार्य : नौवहन और अन्य चार्ट के संकलन में सहायता के लिए जियोडेटिक आंकड़ों की पुष्टि, अनुमानों की गणना और प्लॉटिंग। मुख्यालय : भारत में कहीं भी सेवा करने के दायित्व के साथ नौसेना मुख्यालय, देहरादून ।

4. (रिक्ति सं. 21091304625) एकीकृत मुख्यालय (नौसेना), असैन्य कार्मिक निदेशालय, रक्षा मंत्रालय में कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी के पद के लिए नौ रिक्तियां (अ.पि.व.-02, अनारक्षित-07)। ये रिक्तियां बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों जैसे- प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठरोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले के शिकार

अर्थात् एक पैर प्रभावित (दायां या बायां) (ओ.एल.) के लिए उपयुक्त हैं। पद स्थायी है। सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, (अननुसचिवीय)। **वेतनमान:** 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-10 । **आयु:** 35 वर्ष। **अनिवार्य योग्यताएं:** (क) **शैक्षिक :** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार या समुद्री या नौसेना वास्तुकला या औद्योगिक इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री। (ख) : **अनुभव :** मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार या समुद्री या नौसेना वास्तुकला या औद्योगिक इंजीनियरिंग जैसे इंजीनियरिंग के प्रासंगिक क्षेत्र में तीन साल का कार्य अनुभव। **वांछनीय:** डॉकयार्ड या शिपयार्ड में कम से कम एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पणी :** उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों को लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अर्हताओं में छूट दी जा सकती है। **कार्य :** जहाजों को प्रचालन हेतु तैयार रखने के लिए जहाजों को फिर से फिट करने संबंधी आधुनिकीकरण, उपांतरण को प्रस्तुत रखने से संबंधित कार्यों का मूल्यांकन और निष्पादन। इसके अलावा, वह डॉकयार्ड के कार्य केंद्रों की क्षमता के संदर्भ में निवारक रखरखाव दिनचर्या, अनुसूचियों, आवधिकता और मरम्मत योजना के लिए भी उत्तरदायी होगा। इसके अलावा, ड्राई डॉक के रखरखाव और देखभाल के लिए भी वह उत्तरदायी होंगे। **मुख्यालय:** भारत में कहीं भी सेवा करने के दायित्व के साथ नई दिल्ली ।

5. (रिक्ति सं. 21091305625) एकीकृत मुख्यालय (नौसेना), असैन्य कार्मिक निदेशालय, रक्षा मंत्रालय में प्रधान असैन्य जल सर्वेक्षण अधिकारी के पद के लिए एक रिक्ति (अनारक्षित-01)। यह रिक्ति बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित जैसे बधिर और ऊंचा सुनने वाले सहित अक्षमता अर्थात् बधिर (डी) या ऊंचा सुनने वाले (एच एच), प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठरोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले के शिकार सहित अक्षमता अर्थात् एक पैर प्रभावित (दायां या बायां) (ओ एल) उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त है। पद स्थायी है। सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, (अननुसचिवीय)। **वेतनमान:** 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-10 । **आयु:** 35 वर्ष। **अनिवार्य योग्यताएं:** (क) **शैक्षिक:** सिविल या कंप्यूटर साइंस या सूचना प्रौद्योगिकी में इंजीनियरिंग डिग्री या गणित या भूगोल या भूभौतिकी या

कंप्यूटर अनुप्रयोग या कंप्यूटर साइंस या सूचना प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री या उप-मंडल 1 (बी) हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण में सर्वेक्षक संस्था की अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण। **(ख) : अनुभव:** समुद्री चार्ट संकलन और डिजिटल कार्टोग्राफी में तीन साल का अनुभव। [यह अनुभव किसी सरकारी या स्वायत्त संगठन या वैधानिक निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान से होना चाहिए]। **वांछनीय:** (i) विदेशी भाषा अधिमानतः फ्रेंच भाषा में प्रमाणपत्र या डिप्लोमा। (ii) भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पणी:** उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों को लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अर्हताओं में छूट दी जा सकती है। **कार्य:** (i) नौपरिवहन और समुद्री सुरक्षा के लिए नेविगेशन चार्ट और प्रकाशनों का सर्वेक्षण और तैयारी। (ii) नौवहन चार्टों और प्रकाशनों को पूरा करने और प्रस्तुत करने का कार्य प्रधान सिविल हाइड्रोग्राफिक अधिकारियों की टीम द्वारा किया जाता है जो समुद्री कार्टोग्राफी में विशेषज्ञता रखते हैं। (iii) नौवहन और अन्य चार्ट के संकलन में सहायता के लिए जियोडेटिक डेटा की पुष्टि, अनुमानों की गणना और प्लॉटिंग। **मुख्यालय:** नई दिल्ली, भर्ती किए गए अधिकारी भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

6. (रिक्ति सं. 21091306625) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खान मंत्रालय में सहायक अभियंता ग्रेड-I के पद के लिए सात रिक्तियां (अ.जा.-02, अ.पि.व.-01, ई.डब्ल्यू.एस.-01, अनारक्षित-03)। (पीडब्ल्यूबीडी*-01)*। *सात रिक्तियों में से एक रिक्ति बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित जैसे बधिर और ऊंचा सुनने वाले के साथ अर्थात् अक्षमता ऊंचा सुनने वाले (एच एच) उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। ये रिक्तियां बेंचमार्क विकलांगता वाला व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) जैसे-ऊंचा सुनने वाले (एचएच), प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठरोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले के पीड़ित के साथ अक्षमता अर्थात् एक पैर प्रभावित (दायां या बायां) (ओ.एल.) उम्मीदवारों के लिए भी उपयुक्त हैं। पद स्थायी है। सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "ख", राजपत्रित (अननुसचिवीय)। **वेतनमान:** 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-08। **आयु:** 30 वर्ष। **अनिवार्य योग्यताएं:** **शैक्षिक:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग में स्नातक या इंस्टीट्यूशन ऑफ

इंजीनियर्स के एसोसिएट सदस्य (एएमआईई) या खनन या मैकेनिकल या ड्रिलिंग में इंजीनियरिंग डिग्री। **टिप्पणी-I:** उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों को लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अर्हताओं में छूट दी जा सकती है।

कार्य: (i) कैंप प्रभारी के रूप में ड्रिल यूनिट का पूर्ण प्रशासनिक और तकनीकी नियंत्रण। (ii) विवेकपूर्ण उपयोग और रखरखाव, मशीनरी और वाहन की मरम्मत और रखरखाव, सड़क कर भुगतान, फिटनेस प्रमाण पत्र और वाहन के पुर्जों आदि के लिए इंडेंट शुरू करना। (iii) ड्रिलिंग ऑपरेशन का पर्यवेक्षण और उसकी योजना बनाना, इंडेंट तैयार करना और स्टोर और खातों का रखरखाव। (iv) पीओएल, बिट्स, मिट्टी आदि का प्रावधान करना, (v) अनुपयोगी स्टोर सामग्रियों के लिए सर्वेक्षण रिपोर्ट। (vi) ड्रिलिंग रिपोर्ट/विवरणियां मुख्यालय को प्रस्तुत करना (vii) बोरहोल आवंटन/क्लोजर, लॉगिंग इत्यादि के लिए फील्ड भूवैज्ञानिक और स्थानीय प्राधिकारियों के साथ संपर्क करना ।

मुख्यालय: भारत में कहीं भी सेवा करने के दायित्व के साथ कोलकाता। **कोई अन्य शर्त :** भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में अपनी पहली नियुक्ति पर प्रत्येक नियुक्त व्यक्ति को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद द्वारा आयोजित प्रवेशन या ओरिएंटेशन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना होगा और 3 लाख रुपये का एक जमानती बांड निष्पादित करना होगा, जिसमें उन्हें इंडक्शन प्रशिक्षण के सफल समापन की तिथि से जीएसआई में लगातार 3 वर्ष की सेवा प्रदान करनी होगी।

7. (रिक्ति सं. 21091307625) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खान मंत्रालय में सहायक सर्वेक्षण अधिकारी के पद के लिए चार रिक्तियां (अ.पि.व.-01, ई.डब्ल्यू.एस.-01, अनारक्षित-02) (पीडब्ल्यूबीडी*-01)*। *चार रिक्तियों में से एक रिक्ति बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित जैसे बधिर और ऊंचा सुनने वाले के साथ अक्षमता अर्थात् ऊंचा सुनने वाले (एच एच) उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। ये रिक्तियां बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों की श्रेणी से संबंधित जैसे- बधिर और ऊंचा सुनने वाले अर्थात् ऊंचा सुनने वाले (एचएच), प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ,, कुष्ठरोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले के पीड़ित अक्षमता अर्थात् एक पैर प्रभावित (दायां या बायां) (ओ.एल.) या एक हाथ प्रभावित (दायां या बायां) (ओ.ए.) उम्मीदवारों के लिए भी उपयुक्त हैं। पद स्थायी है। सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "ख",

राजपत्रित, अननुसचिवीय। **वेतनमान:** 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-07। **आयु:** 30 वर्ष। **अनिवार्य योग्यताएं: (क): शैक्षिक :** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में स्नातक या इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के एसोसिएट सदस्य (एएमआईई) या सिविल या खनन इंजीनियरिंग में बी-टेक डिग्री। **(ख) : अनुभव :** सभी स्टेशन, जीपीएस, थियोडोलाइट सर्वेक्षण, ट्रेवर्सिंग, लेवलिंग, कॉन्टूरिंग, पंजीकृत इंजीनियरिंग या सर्वेक्षण प्रतिष्ठान, खान और बांध के तहत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सहित सर्वेक्षण में दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पणी:** उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों को लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अर्हताओं में छूट दी जा सकती है। **कार्य:** सर्वेक्षण कार्य का पर्यवेक्षण, सर्वेक्षण कार्मिकों का मार्गदर्शन और प्रशिक्षण, कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और सर्वेक्षण कार्य समय पर पूरा करना, सर्वेक्षण उपकरणों और सहायक उपकरणों का उचित आवधिक रखरखाव, उससे जुड़े सर्वेक्षण कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत कार्यों की गुणवत्ता और आउटपुट का रिकॉर्ड रखना। **मुख्यालय :** भारत में कहीं भी सेवा करने के दायित्व के साथ कोलकाता। **कोई अन्य शर्त:** भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में अपनी पहली नियुक्ति पर प्रत्येक नियुक्त व्यक्ति को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद द्वारा आयोजित प्रवेशन या ओरिएंटेशन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना होगा और 3 लाख रुपये का एक जमानती बांड निष्पादित करना होगा, जिसमें उन्हें इंडक्शन प्रशिक्षण की सफल समापन की तिथि से जीएसआई में लगातार 3 वर्ष की सेवा प्रदान करनी होगी।

8. (रिक्ति सं. 21091308625) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खान मंत्रालय में भंडार अधिकारी के पद के लिए एक रिक्ति (अनारक्षित-01)। यह रिक्ति बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों की श्रेणी से संबंधित जैसे-(i) दृष्टिहीन और अल्प दृष्टि के साथ अक्षमता अर्थात् अल्प दृष्टि (एलवी), बधिर और ऊंचा सुनने वाले के साथ अक्षमता अर्थात् ऊंचा सुनने वाले (एचएच), प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठरोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले के पीड़ित सहित अक्षमता अर्थात् एक पैर प्रभावित (दायां या बायां) (ओ.एल.) या एक हाथ प्रभावित (दायां या बायां) (ओ.ए.) उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त है। पद स्थायी है। सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "ख", राजपत्रित, (अननुसचिवीय)। **वेतनमान:** 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-07 ।

आयु: 30 वर्ष। **अनिवार्य योग्यताएं:** **शैक्षिक:** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग में डिग्री; या सामग्री प्रबंधन (प्रापण, वैज्ञानिक और तकनीकी स्टोर और उपकरणों का रखरखाव और सूची नियंत्रण) में दो वर्ष के अनुभव के साथ विज्ञान में डिग्री। **टिप्पणी :** उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों को लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अर्हताओं में छूट दी जा सकती है। **कार्य:** (i) किसी या सभी सामग्री प्रबंधन कार्यों का पर्यवेक्षण, संचालन और देखभाल करना। (ii) सामग्री प्रबंधन प्रभाग के भण्डार नियंत्रक या भण्डार के उप-नियंत्रक या भण्डार प्रबंधक या प्रभारी अधिकारी (ए पी एंड एम डी) की सहायता करना। (iii) कार्य क्षेत्र में किसी भी चूक/विलंब या किसी अन्य प्रणालीगत अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह समझा जाना। **मुख्यालय :** अखिल भारतीय सेवा दायित्व के साथ कोलकाता ।

9. (रिक्ति सं. 21091309425) विकास आयुक्त का कार्यालय (एमएसएमई), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में सहायक निदेशक ग्रेड-II (आर्थिक अन्वेषण) के पद के लिए तीस रिक्तियां (अ.जा.-08, अ.ज.जा.-03, अ.पि.व.-07, ई.डब्ल्यू.एस.-03, अनारक्षित-09) (पीडब्ल्यूबीडी*-02)*। *तीस रिक्तियों में से दो रिक्तियां बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए आरक्षित हैं। दो रिक्तियों में से एक रिक्ति बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित जैसे बधिर और ऊंचा सुनने वाले सहित अक्षमता अर्थात् ऊंचा सुनने वाले (एच एच) उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है और एक रिक्ति बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित जैसे- प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठरोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले के शिकार अर्थात् कुष्ठ रोग उपचारित (एल सी) या बौनापन (डी डब्ल्यू) या तेजाबी हमले के शिकार (एएवी) उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। ये रिक्तियां बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित जैसे बधिर और ऊंचा सुनने वाले के साथ अक्षमता अर्थात् ऊंचा सुनने वाले (एच एच), प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठरोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले के शिकार के साथ अक्षमता अर्थात् कुष्ठ रोग उपचारित (एल सी) या बौनापन (डी डब्ल्यू) या तेजाबी हमले के शिकार (एएवी) उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। पद

स्थायी है। सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "ख", राजपत्रित (अननुसचिवीय)। **वेतनमान:** 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-07 । **आयु:** 30 वर्ष। **अनिवार्य योग्यताएं :**

(क): शैक्षिक: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री।

(ख) अनुभव: लघु उद्योगों से संबंधित जांच या सर्वेक्षण और अनुसंधान के संचालन और मार्गदर्शन में दो साल का अनुभव। **वांछनीय :** (i) लघु उद्योगों और/या अन्य उद्योगों से संबंधित समस्याओं के बारे में आर्थिक आंकड़ों से संबंधित कार्य करने का अनुभव तथा जानकारी । (ii) कार्यालयों के लिए वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर / पैकेजों के कंप्यूटर एप्लिकेशन का बुनियादी ज्ञान।

टिप्पणी-I: उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों को लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अर्हताओं में छूट दी जा सकती है।

टिप्पणी-II : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में यदि चयन के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत होता है कि इन श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले पर्याप्त उम्मीदवार इन समुदायों से उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, तो कारणों को लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करते हुए अनुभव से संबंधित योग्यताओं में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। **कार्य :** जिला औद्योगिक क्षमताओं, बाजार, लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण उपलब्धता और इसकी उपयोगिता और रूग्ण लघु उद्योग इकाइयों पर सर्वेक्षण करना। राज्य के औद्योगिक प्रोफाइल/परियोजना प्रोफाइल, व्यवहार्यता रिपोर्ट, लघु उद्योग इकाइयों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं पर नोट्स तैयार करना, रूग्ण लघु उद्योग इकाइयों के पुनरुद्धार के उपाय और कर रियायतें इत्यादि, सौंपे गए कोई अन्य कार्य ।

मुख्यालय : भारत में कहीं भी सेवा करने के दायित्व के साथ नई दिल्ली।

(महत्वपूर्ण)

ओ.आर.ए. वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) जमा करने की अंतिम तारीख 14.10.2021 को 23.59 बजे तक है ।

पूर्ण रूप से ऑन लाइन जमा किए गए आवेदन पत्र का प्रिंट लेने की अंतिम तारीख 15.10.2021 को 23.59 बजे तक है ।

सभी उम्मीदवारों की हर तरह से पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तारीख ऑन लाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) जमा करने की निर्धारित अंतिम तारीख होगी। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे ऑन लाइन भर्ती आवेदन पत्र में अपना संपूर्ण विवरण सावधानीपूर्वक भरें क्योंकि गलत विवरण प्रस्तुत करने से आयोग द्वारा उन्हें विवर्जित किए जाने के अलावा कम्प्यूटर आधारित शार्टलिस्ट किए जाने की प्रक्रिया के दौरान उनका आवेदन पत्र अस्वीकार किया जा सकता है ।

साक्षात्कार की तारीख, जिस दिन शार्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अपने ऑन लाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट सहित अन्य दस्तावेज संघ लोक सेवा आयोग में प्रस्तुत करने होंगे, की सूचना उम्मीदवारों को अलग से दी जाएगी ।

* **बेंचमार्क अक्षमता से प्रभावित व्यक्ति**

टिप्पणी:

क) उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे इस विज्ञापन के संबंध में केवल वेबसाइट <http://www.upsconline.nic.in> के माध्यम से ऑन लाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) से ही आवेदन करें और आवेदन प्रपत्र के लिए आयोग को न लिखें । उनसे यह भी अनुरोध है कि वे नीचे प्रकाशित तथा वेबसाइट <http://www.upsconline.nic.in> पर दिए गए पदों के विवरण एवं अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें ।

ख) सभी मर्दों के सामने दर्शाई गई आयु सीमा सामान्य आयु सीमा है तथा अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों को उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के संबंध में 5 वर्ष तथा अ.पि.व. के उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष तक की छूट है। अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के उम्मीदवारों को निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्य श्रेणियों के आवेदकों के लिए आयु संबंधी रियायत के लिए आवेदक कृपया “चयन द्वारा भर्ती हेतु उम्मीदवारों के लिए अनुदेश तथा अतिरिक्त सूचना” के संगत पैरा देखें।

(ग) कोई उम्मीदवार सामुदायिक आरक्षण का लाभ पाने का पात्र केवल तभी होगा यदि उम्मीदवार की जाति, जिससे वह संबंधित है, को केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई आरक्षित समुदाय की सूची में शामिल किया गया हो। यदि कोई उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र में यह उल्लेख करता/करती है कि वह अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ सामान्य श्रेणी से संबंधित है लेकिन बाद में आयोग को अपनी श्रेणी को बदलने के लिए अनुरोध करता/करती है तो ऐसे अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

(घ) बेंचमार्क अक्षमता से प्रभावित व्यक्ति (पी डब्ल्यू बी डी), रिक्तियों के विवरण में विभिन्न मद (मदों) के सामने दर्शाए अनुसार, उन संगत पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, जो उनके लिए आरक्षित नहीं हैं, किन्तु उपयुक्त समझे गए हैं। तथापि, ऐसे उम्मीदवारों के बारे में इन पदों पर चयन हेतु विचार योग्यता के सामान्य मानकों के अनुसार किया जाएगा। कम से कम 40% संगत अक्षमता वाले व्यक्ति ही नियमों के अंतर्गत अनुमेय, आरक्षण तथा अन्य छूटों का लाभ पाने के पात्र माने जाएंगे। अतः बेंचमार्क अक्षमता से प्रभावित व्यक्ति (पी डब्ल्यू बी डी) निम्नलिखित का लाभ उठा सकते हैं :

(i) नियमों के अंतर्गत मिलने वाला आरक्षण तथा अन्य रियायतें और छूट केवल तभी स्वीकार्य होंगे, जब शारीरिक अक्षमता 40 प्रतिशत या इससे अधिक हो और पद पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हों।

(ii) नियमों के अंतर्गत मिलने वाली अन्य रियायतें तथा छूट केवल तभी स्वीकार्य होंगी जब शारीरिक अक्षमता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो और पद पी डब्ल्यू बी डी उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त हों।

(ङ) **मुख्यालय:** कुछ पदों के सामने विशेष रूप से उल्लिखित स्थानों पर, अन्यथा भारत में कहीं भी ।

(च) **परिवीक्षा:** चयनित व्यक्तियों को नियमानुसार परिवीक्षाधीन नियुक्त किया जाएगा।

हिन्दी और अंग्रेजी में किसी अर्थ भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा ।

चयन द्वारा भर्ती के लिए उम्मीदवारों को अनुदेश और अतिरिक्त सूचनाएं :

1. नागरिकता

उम्मीदवार अनिवार्यतः या तो :-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो, या

(ग) भूटान की प्रजा हो, या

(घ) भारत में स्थायी निवास करने के इरादे से 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आया हुआ तिब्बती शरणार्थी हो, या

(ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जो भारत में स्थायी निवास के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (पूर्व में टंगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मलावी, जायरे, इथियोपिया और वियतनाम से प्रवर्जन कर आया हो। किन्तु शर्त यह है कि उपर्युक्त श्रेणी (ख), (ग), (घ) और (ङ) से सम्बद्ध उम्मीदवार के पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

टिप्पणी :- जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक है, आयोग द्वारा उसके आवेदन-पत्र पर विचार किया जा सकता है और नियुक्ति के लिए अनुशंसा किए जाने पर उसे अनंतिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है बशर्ते कि भारत सरकार उसे आवश्यक प्रमाण-पत्र जारी कर दे ।

2. आयु सीमाएं: इस पद के लिए आयु सीमा का उल्लेख उक्त विज्ञापन में किया गया है, विभिन्न श्रेणियों के लिए स्वीकार्य आयु संबंधी कतिपय रियायत के लिए कृपया छूट तथा रियायत संबंधी अनुदेश देखें।

3. न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं : सभी आवेदकों को विज्ञापन में विनिर्दिष्ट पद से संबंधित अनिवार्य अपेक्षाओं और अन्य शर्तों को अनिवार्यतः पूरा करना होगा। उन्हें सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पूर्व वे यह संतुष्टि कर लें कि वे विभिन्न पदों के लिए निर्धारित कम से कम अनिवार्य योग्यताओं को पूरा करते हों। पात्रता के संबंध में सलाह देने संबंधी किसी भी पूछताछ पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

टिप्पणी -I : निर्धारित अनिवार्य योग्यताएं न्यूनतम हैं और केवल इन योग्यताओं को पूरा कर लेने से ही उम्मीदवार साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के हकदार नहीं हो जाते।

टिप्पणी -II : प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या अधिक होने पर, आयोग निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक तरीकों से साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को उपयुक्त सीमा तक कम कर सकता है :

(क) “वांछनीय योग्यता (डी.क्यू.) या किसी एक या सभी वांछनीय योग्यताओं के आधार पर यदि एक से अधिक वां.यो. निर्धारित हैं”।

(ख) विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं की अपेक्षा उच्चतर शैक्षिक योग्यता के आधार पर।

(ग) विज्ञापन में निर्धारित संगत क्षेत्र में न्यूनतम अनुभव की अपेक्षा अधिक अनुभव के आधार पर।

(घ) अनिवार्य योग्यताएं प्राप्त करने के पहले या बाद के अनुभव को जोड़कर।

(ङ.) ऐसे मामलों में भी अनुभव को शामिल करके जिनमें अनिवार्य योग्यता (अ.यो.) या वांछनीय योग्यता (वा.यो.) के लिए कोई अनुभव उल्लिखित नहीं है।

(च) भर्ती परीक्षा आयोजित करके।

इसलिए उम्मीदवारों को चाहिए कि वे संगत क्षेत्र में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता से अधिक जो भी योग्यताएं तथा अनुभव रखते हों, उन सभी का उल्लेख करें।

टिप्पणी -III :-

महत्वपूर्ण	
(i)	चयन चाहे केवल साक्षात्कार द्वारा या भर्ती परीक्षा के बाद साक्षात्कार द्वारा किया जाए, साक्षात्कार के लिए उपयुक्तता का श्रेणीवार न्यूनतम स्तर साक्षात्कार के कुल 100 अंकों में से अना./आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-50 अंक, अ.पि.व.-45 अंक, अ.जा./अ.ज.जा./शा.वि.-40 अंक होगा।
(ii)	जिन मामलों में भर्ती परीक्षा (आरटी) के बाद साक्षात्कार द्वारा चयन किया जाता है उनमें उम्मीदवार को दोनों चरणों, अर्थात् ‘भर्ती परीक्षा’ के साथ-साथ ‘साक्षात्कार’ में भी अपनी संबंधित श्रेणी में उपयुक्तता का न्यूनतम स्तर प्राप्त करना होगा।

4. आवेदन शुल्क:

- (क) उम्मीदवारों को शुल्क के रूप में 25/- रु. (पच्चीस रूपए) की राशि एस.बी.आई. की किसी भी शाखा में नकद या एस.बी.आई. की नेट बैंकिंग सुविधा या वीज़ा /मास्टर क्रेडिट/ डेबिट कार्ड के माध्यम से जमा करनी होगी ।
- (ख) अ.जा. / अ.ज.जा. / शारीरिक विकलांग / किसी भी समुदाय की महिला उम्मीदवारों को कोई शुल्क देय नहीं होगा । सामान्य/अ.पि.व./आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को शुल्क में कोई छूट नहीं होगी और उन्हें निर्धारित पूरा शुल्क अदा करना होगा ।
- (ग) निर्धारित शुल्क न दिए जाने पर किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा । इस प्रकार के निरसन के विरुद्ध किसी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।
- (घ) एक बार अदा किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं लौटाया जाएगा और न ही किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए सुरक्षित रखा जाएगा.

5. रियायत और छूट :

(क) आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/ अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी बशर्ते कि आवेदन प्राप्त रकने की अंतिम तारीख को भूतपूर्व सैनिक द्वारा अनुप्रमाणन के बाद सशस्त्र सेना में की गई लगातार सेवा 6 मास से कम न हो। यह छूट ऐसे आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/ अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को भी प्राप्त है जिन्होंने मिलिट्री सेवा में 5 वर्ष की प्रारंभिक तैनाती अवधि पूरी कर ली है और जिनकी तैनाती अंतिम तारीख को 5 वर्ष से और आगे बढ़ा दी गई है तथा जिनके मामलों में रक्षा मंत्रालय यह प्रमाण-पत्र जारी कर देता है कि चयन हो जाने के बाद नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने के भीतर उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। इस पैरे के अंतर्गत छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित प्रपत्र में आयोग को एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

टिप्पणी : केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी सिविल पद पर पहले से नियमित रोजगार प्राप्त भूतपूर्व सैनिकों को, केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी उच्चतर पद पर अथवा सेवा में कोई दूसरा रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों को यथा स्वीकार्य आयु सीमा में छूट का

लाभ प्राप्त करने की अनुमति है। तथापि, ऐसे उम्मीदवार केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण का लाभ, यदि कोई हो, पाने के लिए पात्र नहीं होंगे।

(ख) उपर्युक्त (क) के तहत रियायत हेतु पात्र होने के लिए संबंधित उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्रों के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें रक्षा सेवाओं से मुक्त कर दिया गया है। ई.सी.ओ./एस.एस.सी.ओ. सहित भूतपूर्व सैनिक तथा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों पर नीचे दर्शाए गए समुचित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और रक्षा सेवाओं में उनकी सेवा अवधि का भी उल्लेख किया जाना चाहिए:-

(i) ई.सी.ओ./एस.एस.सी.ओ. सहित कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में :-

सेना : कार्मिक सेवा निदेशालय, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली

नौसेना : कार्मिक सेवा निदेशालय, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली

वायु सेना : कार्मिक सेवा निदेशालय, वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली

(ii) नौसेना तथा वायु सेना के जूनियर कमीशन अधिकारी/अन्य रैंकों तथा समकक्ष पद के मामले में:-

सेना : विभिन्न रेजिमेंटों के रिकार्ड कार्यालयों द्वारा,

नौसेना : नौसेना रिकार्ड, बंबई

वायु सेना : वायु सेना रिकार्ड, नई दिल्ली

(ग) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आयु में छूट :

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार केन्द्र/संघ शासित सरकार के कर्मचारियों को ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट है। (इसका अर्थ यह है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अधिकतम 10 वर्ष की आयु सीमा में छूट है जिसमें आयु में 5 वर्ष की छूट उनकी संबंधित श्रेणियों से है। उसी प्रकार, अ.पि.व. के व्यक्तियों को अधिकतम 8 वर्ष की छूट है जिसमें अ.पि.व. के लिए आयु में 3 वर्ष की छूट शामिल है)। यह छूट केंद्र सरकार में 3 साल की निरंतर सेवा और उसी पद या संबद्ध कैडर में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य होगी और जहां यह स्थापित किया जा सकता है कि उस विशेष पद पर पहले से प्रदान की गई सेवा, जिस पद पर भर्ती की जा रही है, उसके कर्तव्यों का कुशल निर्वहन करने के लिए उपयोगी होगी। इससे संबंधित निर्णय आयोग का होगा। उम्मीदवार जो केंद्र सरकार के कर्मचारी की श्रेणी से संबंधित होने का दावा करता है और इस प्रकार इस पैरा के तहत आयु में छूट की मांग करता है, उसे कार्यालय के लेटर हेड पर अपने नियोक्ता से विज्ञापन की तारीख के बाद जारी किए गए निर्धारित प्रोफार्मा में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी कि वह

नियमित रूप से नियुक्त केंद्र सरकार का कर्मचारी है और कैजुअल / तदर्थ / दैनिक मजदूरी / प्रति घंटा भुगतान / अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर्मचारी नहीं है।

(घ) बैचमार्क विकलांग (पी.डब्ल्यू.बी.डी.) व्यक्तियों के लिए आयु सीमा में छूट :

(i) केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत (क) दृष्टिबाधित या कमजोर दृष्टि (ख) श्रवण बाधित और (ग) चलने में असमर्थ या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, कुष्ठ रोग उपचारित, बौनापन, एसिड हमले के पीड़ित तथा मांसपेशीय कुपोषण (घ) ऑटिज़्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट लर्निंग अक्षमता तथा मानसिक रोग (ङ) खंड (क) से (घ) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में से एकाधिक विकलांगता जैसी अशक्तता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त रूप से चिन्हित किए गए सभी सिविल पदों/सेवाओं पर सीधी भर्ती के मामले में ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट (अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों के लिए अधिकतम 15 वर्ष की छूट जिसमें 5 वर्ष की छूट का अभिप्राय उनसे संबंधित श्रेणियों के लिए है। इसी प्रकार अ.पि.व. उम्मीदवारों के लिए 13 वर्ष की छूट दी जाएगी जिसमें अ.पि.व. उम्मीदवार के लिए आयु में 3 वर्ष की छूट का अभिप्राय शामिल है), जो इस शर्त के अध्यक्षीन दी जाएगी कि अंतिम तारीख को आवेदक की आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अशक्त व्यक्तियों के लिए पद आरक्षित हो या नहीं, दोनों ही स्थिति में, अशक्त व्यक्तियों को आयु में छूट अनुमेय है, बशर्ते संबंधित पद अशक्तता की संगत श्रेणी के लिए उपयुक्त रूप से चिन्हित किया गया है।

(ii) न्यूनतम 40% अशक्तता वाले उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट अनुमेय होगी।

(iii) ऐसे अशक्त उम्मीदवार जो केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी होने के कारण आयु में छूट के हकदार हैं, उन्हें 'अशक्त उम्मीदवार' या 'केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी' जो भी उनके लिए अधिक लाभदायक हो, के रूप में ही रियायत मिलेगी।

(iv) ऐसे पद/सेवा के लिए उक्त प्रावधान लागू नहीं होंगे जिनमें अधिसूचना द्वारा आयु में छूट के लिए अन्य विशिष्ट प्रावधान किया गया हो।

(v) आयु में छूट के प्रयोजनार्थ अशक्तता की विभिन्न श्रेणियों की परिभाषा का. एवं प्रशि. वि. के दिनांक 29 दिसंबर, 2005 के का.जा. सं. 36035/3/2004-स्था. (आरक्षण) में दिए अनुसार होगी।

6. (क) आवेदन किस प्रकार करें :

(i) उम्मीदवार अनिवार्यतः वेबसाइट <http://www.upsconline.nic.in> के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन करें। किसी अन्य माध्यम द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा।

(ii) उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे के अनुसार अपनी जन्म-तिथि, अनुभव (विशेष रूप से निर्धारित प्रपत्र में), वांछनीय योग्यता (योग्यताओं) या अन्य किसी भी जानकारी के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों को सिंगल पीडीएफ फाइल में इस प्रकार अपलोड करना होगा कि फाइल का आकार संबंधित उपर्युक्त मॉड्यूल के लिए 1 एमबी से अधिक तथा "अपलोड अन्य दस्तावेज" के लिए 2 एमबी से अधिक नहीं होना चाहिए और उसका प्रिंटआउट निकाल कर पढ़ा जा सके। इस प्रयोजनार्थ, उम्मीदवार को निम्नलिखित दस्तावेज/प्रमाण-पत्र 200 डीपीआई ग्रे स्केल में स्कैन करने होंगे। वेतन पर्ची, जीवन-वृत्त, नियुक्ति आदेश, कार्य-मुक्ति पत्र, अहस्ताक्षरित अनुभव प्रमाण-पत्र, आदि दस्तावेजों को डॉक्यूमेंट अपलोड मॉड्यूल में हरगिज अपलोड नहीं किया जाना चाहिए:-

(क) मैट्रिकुलेशन / 10वीं स्तर या समकक्ष प्रमाण-पत्र जिसमें जन्मतिथि दर्शाई गई हो, या मैट्रिकुलेशन / 10वीं स्तर की अंकतालिका या केन्द्र/राज्य बोर्ड द्वारा जारी किया गया समकक्ष प्रमाण-पत्र, जिसमें उनकी आयु के दावे के समर्थन में जन्मतिथि दर्शाई गई हो। जहां संबंधित शैक्षिक बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र/ अंकतालिका में जन्म की तारीख का उल्लेख न किया गया हो, उन मामलों में विद्यालय छोड़ने संबंधी प्रमाण-पत्र में दर्शाई गई जन्म की तारीख (जैसा कि तमिलनाडु और केरल के मामले में) पर विचार किया जाएगा।

(ख) दावा की गई शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण के रूप में सभी शैक्षिक वर्षों की अंकतालिकाओं के साथ-साथ डिग्री / डिप्लोमा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे। डिग्री / डिप्लोमा प्रमाणपत्र जमा न किए जाने की स्थिति में, सभी शैक्षिक वर्षों की अंकतालिकाओं के साथ अनंतिम प्रमाण-पत्र स्वीकार्य होगा।

(ग) अनिवार्य योग्यताओं के समकक्ष खंड के संबंध में यदि कोई उम्मीदवार यह दावा करता है कि कोई विशिष्ट योग्यता विज्ञापन के अनुसार अपेक्षित अनिवार्य योग्यता के समकक्ष है

तो उम्मीदवार को उस प्राधिकरण के बारे में बताते हुए उस आदेश/पत्र की प्रति (संख्या तथा तारीख सहित) संलग्न करनी होगी जिसके अंतर्गत इसे उस रूप में स्वीकार किया गया हो।

(घ) दावा किए गए समग्र अनुभव के लिए निर्धारित प्रपत्र में संगठन (संगठनों) / विभाग (विभागों) के अध्यक्ष (अध्यक्षों) द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र, जिनमें स्पष्ट रूप से रोजगार की अवधि (तारीख, मास तथा वर्ष), मूल वेतन तथा समेकित वेतन का उल्लेख किया गया हो, की स्व-प्रमाणित प्रतियां। इस प्रमाण-पत्र (प्रमाण-पत्रों) में उक्त पद (पदों) पर किए गए कार्यों का स्वरूप/प्राप्त किए गए अनुभव की अवधि (अवधियों) का उल्लेख भी किया जाना चाहिए। अनुभव प्रमाण-पत्र, पद से संगत निर्धारित प्रपत्र में जारी किया जाना चाहिए। यदि अनुभव संबंधी कोई प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में नहीं है लेकिन उसमें ऊपर दिए गए सभी विवरण शामिल हैं, तो आयोग उस पर गुण-दोष के आधार पर विचार करेगा।

(ड.) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. की हैसियत से आरक्षण का लाभ चाहने वाले उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से उम्मीदवार की जाति, उस अधिनियम/आदेश का उल्लेख किया गया हो जिसके अंतर्गत उसकी जाति को अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के रूप में मान्यता प्रदान की गई हो तथा उस गांव/शहर का नाम जहां वह सामान्यतः निवास कर रहा है।

(च) अ.पि.व. के रूप में आरक्षण का लाभ चाहने वाले उम्मीदवार को समुदाय प्रमाण-पत्र (अ.पि.व.) के अलावा निर्धारित प्रपत्र में यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि वह निर्णायक तारीख को 'क्रीमी लेयर' में शामिल नहीं है। जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, पद के लिए ऑनलाइन भर्ती आवेदन प्राप्ति की निर्धारित अंतिम तारीख निर्णायक तारीख मानी जाएगी।

(छ) चिकित्सा स्वस्थता के निर्धारित मानदण्डों के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया गया शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य चिकित्सा बोर्ड से है जो केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित किया गया हो। केन्द्र / राज्य सरकार कम से कम तीन सदस्यों वाले एक चिकित्सा बोर्ड का गठन करेगा जिनमें से कम से कम एक सदस्य चलने / प्रमस्तिष्कीय / दृष्टि / श्रवण अक्षमता, जैसा भी मामला हो, के विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त हो।

(ज) किए गए किसी अन्य दावों के लिए दस्तावेजी प्रमाण ।

टिप्पणी : यदि कोई दस्तावेज / प्रमाण-पत्र हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है तो उक्त का लिप्यन्तरण किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी से विधिवत रूप से अभिप्रमाणित कराकर अपलोड करना होगा ।

(iii) महत्वपूर्ण : उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन में अपना सही और सक्रिय ई-मेल आईडी भरें क्योंकि आयोग द्वारा सभी पत्र-व्यवहार केवल ई-मेल के माध्यम से ही किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों के संबंध में साक्षात्कार अनुसूची और प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्रों की प्रतियों से संबंधित अपेक्षाओं को यथासमय उम्मीदवारों को उनके रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी पर भेजा जाएगा तथा आयोग की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा ।

(iv) जो उम्मीदवार एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे निर्धारित शुल्क सहित प्रत्येक पद के लिए अलग से आवेदन-पत्र भेजें।

(v) ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) को जमा करने के बाद उम्मीदवार द्वारा अंतिम रूप से जमा किए गए ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना अपेक्षित है।

(vi) उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट या कोई अन्य दस्तावेज डाक द्वारा या दस्ती रूप से आयोग को भेजने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट तथा नीचे पैरा 7 में उल्लिखित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

(vii) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे प्रत्येक पद के लिए केवल एक ही ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र जमा करें; तथापि, यदि वह एक पद के लिए एक से अधिक ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र जमा करता / करती है तो उसे यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उच्चतर "आवेदन सं." वाला ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र शुल्क सहित सभी प्रकार से परिपूर्ण है। जो आवेदक एक से अधिक ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र जमा करते हैं उन्हें नोट कर लेना चाहिए कि आयोग द्वारा केवल उच्चतर "आवेदन सं." वाले ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र

को ही स्वीकार किया जाएगा और एक "आवेदन सं." के लिए दिए गए आवेदन शुल्क को किसी अन्य "आवेदन पत्र सं." के लिए समायोजित नहीं किया जाएगा।

(viii) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख की प्रतीक्षा न करके ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र समय रहते जमा करा दें।

6. (ख) उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारियों के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र में किए गए दावों के समर्थन में दस्तावेजों/संगत प्रमाण-पत्रों की स्व-प्रमाणित प्रतियां आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होंगी।

“ चेतावनी ” :

उम्मीदवारों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर ही साक्षात्कार के लिए शार्टलिस्ट किया जाएगा । ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे के समर्थन में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जांच तभी की जाएगी जब उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे के अनुसार योग्यताओं और अनुभवों, विज्ञापन तथा मॉडलिटीज के अनुसार विभिन्न रिपोर्टों और शार्टलिस्टिंग के लिए अपनाए गए मानदण्डों के संदर्भ में सूचना के आधार पर प्रथम दृष्टया पात्र पाया जाएगा । उन्हें यह अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा दी गई जानकारी सही है। यदि बाद में किसी स्तर पर या साक्षात्कार के समय कोई सूचना या उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया गया कोई दावा झूठा पाया जाता है तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और आयोग उन्हें स्थायी तौर पर या किसी निश्चित अवधि के लिए

- आयोग अपने द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी परीक्षा या चयन से।
- केन्द्र सरकार अपने अधीन आने वाले किसी भी रोजगार से विवर्जित कर सकती है

7. साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज / प्रमाण-पत्र

ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट और निम्नलिखित मूल दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों के साथ उनकी स्व-प्रमाणित प्रतियां तथा बुलावा पत्र में साक्षात्कार के लिए दर्शाई गई अन्य सामग्री साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा न करने पर उम्मीदवार को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। ऐसी स्थिति में ऐसे उम्मीदवार यात्रा खर्च के रूप में आयोग द्वारा दिए जाने वाले अंशदान के हकदार नहीं होंगे :-

(क) मैट्रिकुलेशन / 10वीं स्तर या समकक्ष प्रमाण-पत्र जिसमें जन्मतिथि दर्शाई गई हो, या मैट्रिकुलेशन / 10वीं स्तर की अंकतालिका या केन्द्र/राज्य बोर्ड द्वारा जारी किया गया समकक्ष प्रमाण-पत्र, जिसमें उनकी आयु के दावे के समर्थन में जन्मतिथि दर्शाई गई हो। जहां संबंधित शैक्षिक बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र/ अंकतालिका में जन्म की तारीख का उल्लेख न किया गया हो, उन मामलों में विद्यालय छोड़ने संबंधी प्रमाण-पत्र में दर्शाई गई जन्म की तारीख (जैसा कि तमिलनाडु और केरल के मामले में) पर विचार किया जाएगा।

(ख) दावा की गई शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण के रूप में सभी शैक्षिक वर्षों की अंकतालिकाओं के साथ-साथ डिग्री / डिप्लोमा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे। डिग्री / डिप्लोमा प्रमाणपत्र जमा न किए जाने की स्थिति में, सभी शैक्षिक वर्षों की अंकतालिकाओं के साथ अनंतिम प्रमाण-पत्र स्वीकार्य होगा।

(ग) अनिवार्य योग्यताओं के समकक्ष खंड के संबंध में यदि कोई उम्मीदवार यह दावा करता है कि कोई विशिष्ट योग्यता विज्ञापन के अनुसार अपेक्षित अनिवार्य योग्यता के समकक्ष है तो उम्मीदवार को उस प्राधिकरण के बारे में बताते हुए उस आदेश/पत्र की प्रति (संख्या तथा तारीख सहित) संलग्न करनी होगी जिसके अंतर्गत इसे उस रूप में स्वीकार किया गया हो।

(घ) दावा किए गए समग्र अनुभव के लिए निर्धारित प्रपत्र में संगठन (संगठनों) / विभाग (विभागों) के अध्यक्ष (अध्यक्षों) द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र, जिनमें स्पष्ट रूप से रोजगार की अवधि (तारीख, मास तथा वर्ष), मूल वेतन तथा समेकित वेतन का उल्लेख किया गया हो, की स्व-प्रमाणित प्रतियां। इस प्रमाण-पत्र (प्रमाण-पत्रों) में उक्त पद (पदों) पर किए गए कार्यों का स्वरूप/प्राप्त किए गए अनुभव की अवधि (अवधियों) का उल्लेख भी किया जाना चाहिए। अनुभव प्रमाण-पत्र, पद से संगत निर्धारित प्रपत्र में जारी किया जाना चाहिए। यदि अनुभव संबंधी कोई प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में नहीं है लेकिन उसमें ऊपर दिए गए सभी विवरण शामिल हैं, तो आयोग उस पर गुण-दोष के आधार पर विचार करेगा।

(ड.) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. की हैसियत से आरक्षण का लाभ चाहने वाले उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें स्पष्ट

रूप से उम्मीदवार की जाति, उस अधिनियम/आदेश का उल्लेख किया गया हो जिसके अंतर्गत उसकी जाति को अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के रूप में मान्यता प्रदान की गई हो तथा उस गांव/शहर का नाम जहां वह सामान्यतः निवास कर रहा है ।

(च) अ.पि.व. के रूप में आरक्षण का लाभ चाहने वाले उम्मीदवार को समुदाय प्रमाण-पत्र (अ.पि.व.) के अलावा निर्धारित प्रपत्र में यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि वह निर्णायक तारीख को 'क्रीमी लेयर' में शामिल नहीं है। जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, पद के लिए ऑनलाइन भर्ती आवेदन प्राप्ति की निर्धारित अंतिम तारीख निर्णायक तारीख मानी जाएगी।

(छ) चिकित्सा स्वस्थता के निर्धारित मानदण्डों के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया गया शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य चिकित्सा बोर्ड से है जो केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित किया गया हो। केन्द्र / राज्य सरकार कम से कम तीन सदस्यों वाले एक चिकित्सा बोर्ड का गठन करेगा जिनमें से कम से कम एक सदस्य चलने / प्रमस्तिष्कीय / दृष्टि / श्रवण अक्षमता, जैसा भी मामला हो, के विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त हो।

(ज) कोई उम्मीदवार जो मैट्रिकुलेशन के बाद विवाह या पुनर्विवाह या तलाक आदि होने की स्थिति में नाम में परिवर्तन का दावा करता है तो उसे निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे :

i) महिलाओं के विवाह के मामले में - पति के पासपोर्ट की फोटोप्रति, जिसमें पत्नी के नाम का उल्लेख हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित प्रति या पति तथा पत्नी द्वारा ओथ कमिशनर के सामने विधिवत शपथ लेते हुए संयुक्त फोटो सहित शपथ-पत्र।

ii) महिलाओं के पुनर्विवाह की स्थिति में - पहले पति के संदर्भ में तलाक विलेख / मृत्यु प्रमाण-पत्र, जैसी भी स्थिति हो, तथा वर्तमान पति के पासपोर्ट की फोटोप्रति जिसमें पत्नी के नाम का उल्लेख हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित प्रति या पति तथा पत्नी द्वारा ओथ कमिशनर के समक्ष विधिवत शपथ लेते हुए एक संयुक्त फोटो सहित एक शपथ-पत्र।

iii) तलाकशुदा महिलाओं के मामले में - तलाक आदेश तथा एक पक्षीय विलेख/शपथ-पत्र, जिस पर ओथ कमिश्नर के समक्ष विधिवत शपथ ली गई हो, की प्रमाणित प्रति।

iv) अन्य परिस्थितियों में महिला एवं पुरुष, दोनों के नाम परिवर्तन के मामले में, एक पक्षीय विलेख/शपथ पत्र जिस पर ओथ कमिश्नर के सामने विधिवत रूप से शपथ ली गई हो और दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों की मूल समाचार कतरनें (एक दैनिक समाचार पत्र आवेदक के स्थायी तथा वर्तमान पते या निकटवर्ती क्षेत्र का होना चाहिए) तथा राजपत्र अधिसूचना की प्रति।

(झ) आयु में छूट के संबंध में प्रमाण पत्र / दस्तावेज :

i) ई.सी.ओ./एस.एस.सी.ओ. सहित भूतपूर्व सैनिक तथा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में।

ii) केन्द्र सरकार / संघ शासित सरकार के कर्मचारियों के लिए विज्ञापन की तारीख के पश्चात सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में जारी।

iii) वे व्यक्ति जो विशेष उपबंध / आदेश के अंतर्गत आयु में छूट प्राप्त करना चाहते हैं।

(ञ) वे व्यक्ति जो नैमित्तिक / तदर्थ / दैनिक वेतन/ घंटेवार भुगतान / संविदा आधार से इतर स्थाई या अस्थायी आधार पर पहले से ही सरकारी सेवा में हैं उन्हें यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उन्होंने अपने कार्यालय प्रधान / विभागाध्यक्ष को यह लिखकर दे दिया है कि उन्होंने उक्त पद पर चयन के लिए आवेदन किया है।

(ट) व्यावसायिक पंजीकरण, भाषा, प्रकाशन, नेट, गेट, सम्मेलन, इंटरनेट संबंधी दावे के संबंध में प्रमाण-पत्र।

(ठ) किए गए किसी अन्य दावे (दावों) के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण।

टिप्पणी । : ऑनलाइन भर्ती आवेदन में वर्णित जन्म की तारीख निर्णायक है। बाद में जन्म की तारीख में परिवर्तन संबंधी किसी भी अनुरोध पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी II : उम्मीदवारों की साक्षात्कार के लिए लघुसूची तैयार करने के लिए वैध अनुभव की गणना करते समय उम्मीदवार द्वारा अंशकालिक, दैनिक वेतन, विजिटिंग / अतिथि फ़ैकल्टी आधार पर प्राप्त अनुभव की अवधि को गिना नहीं जाएगा ।

टिप्पणी III : यदि कोई दस्तावेज / प्रमाण-पत्र हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी अन्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है तो उक्त का लिप्यन्तरण किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी से विधिवत अभिप्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा ।

8. कदाचार के दोषी पाए गए उम्मीदवारों के विरुद्ध कार्रवाई :

उम्मीदवारों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन-पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें, और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह चेतावनी भी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित / प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित / प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में उम्मीदवार को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

उम्मीदवार निम्नलिखित के लिए आयोग द्वारा दोषी माना जाता है या घोषित किया गया है:

- (क) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा
- (ख) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा
- (ग) किसी अन्य व्यक्ति से छल से कार्य साधन कराया है, अथवा
- (घ) जाली प्रलेख या ऐसे प्रलेख प्रस्तुत किए हैं जिनमें फेरबदल किया गया है, अथवा
- (ङ) गलत या झूठे वक्तव्य दिए गए हैं या कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गई है, अथवा
- (च) अपने चयन के लिए उम्मीदवारी हेतु किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा
- (छ) परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, अथवा
- (ज) उत्तर पुस्तिका (पुस्तिकाओं) पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, अथवा
- (झ) परीक्षा भवन में अन्य किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, अथवा

- (ट) परीक्षा के संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, अथवा
- (ठ) परीक्षा हाल/साक्षात्कार कक्ष में मोबाइल फोन/संचार यंत्र लाया हो।
- (ड) पूर्वोक्त खंडों में विनिर्दिष्ट सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयास किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) चलाया जा सकता है, और इसके साथ ही उसे -
- (i) आयोग उस चयन से जिसका वह उम्मीदवार है अयोग्य ठहरा सकता है, अथवा
- (ii) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए
- आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन से
 - केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से विवर्जित किया जा सकता है, और
- (iii) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

9. अन्य सूचना/अनुदेश

(क) सभी उम्मीदवारों को चाहे वे पहले से सरकारी सेवा में हो या सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में नियुक्त हों या प्राइवेट रोजगार में हों उन्हें अपना आवेदन-पत्र आयोग को सीधे ऑनलाइन भेजना चाहिए। जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से नैमित्तिक/तदर्थ/दैनिक मजदूरी/ घंटेवार भुगतान/संविदा आधार के कर्मचारी से इतर प्रभारी कर्मचारियों की हैसियत से काम कर रहे हैं, उन्हें यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के प्रधान को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस चयन के लिए आवेदन किया है।

(ख) सभी उम्मीदवारों की हर तरह से पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तारीख वेबसाइट <http://www.upsconline.nic.in> में दर्शाई गई ऑनलाइन भर्ती आवेदन प्रस्तुत करने की निर्णायक तारीख होगी।

(ग) अनिवार्य योग्यताओं के समकक्ष योग्यता खंड के संबंध में, यदि कोई उम्मीदवार किसी विशेष योग्यता को विज्ञापन की अपेक्षा के अनुसार किसी योग्यता के समकक्ष होने का दावा

करता है तो उसे इस संबंध में वह आदेश/ पत्र, जारी करने वाले प्राधिकरण का उल्लेख (संख्या तथा तारीख) करना होगा जिसके अंतर्गत उक्त योग्यता को समकक्ष तौर पर स्वीकार किया गया हो अन्यथा ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र को रद्द किया जा सकता है ।

(घ) उम्मीदवारों से यदि अपेक्षा की गई तो उन्हें आयोग द्वारा निर्धारित स्थान पर वैयक्तिक साक्षात्कार के लिए अवश्य उपस्थित होना होगा। साक्षात्कार हेतु बुलाए गए उम्मीदवारों को आयोग कोई यात्रा खर्च और अन्य खर्च नहीं देता है। तथापि आयोग उम्मीदवार के निवास स्थान से निकटतम रेलवे स्टेशन से साक्षात्कार के स्थान तक अथवा जहां से उम्मीदवार वास्तव में यह यात्रा करता है, जो भी साक्षात्कार के स्थान से सबसे नजदीक पड़ता हो तथा वापसी उस स्थान तक अथवा उम्मीदवार द्वारा किए गए रेल किराए के वास्तविक खर्च, जो भी कम हो, के लिए द्वितीय श्रेणी के मेल रेल किराए की राशि के अनुरूप दर पर अंशदान देता है। इसका ब्यौरा उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर दिया जाएगा।

(ङ.) जिन उम्मीदवारों का साक्षात्कार दिल्ली में होता है उन्हें उनके द्वारा किराये के लिए किये गये खर्चों का भुगतान आयोग द्वारा साक्षात्कार वाले दिन ही कर दिया जाएगा बशर्ते कि वे सारी शर्तें पूरी करतें हों। जिन उम्मीदवारों को दिल्ली से भिन्न अन्य स्थानों पर साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है उन्हें उसका भुगतान बाद में मनीआर्डर द्वारा कर दिया जाएगा। जो उम्मीदवार आयोग के काउण्टर से नकद में यात्रा भत्ता प्राप्त नहीं करना चाहते हैं उनका यात्रा भत्ता उनके संबंधित खातों में भी भेजा जा सकता है । ऐसे उम्मीदवारों को अपने यात्रा भत्ते के दावे के साथ एक रद्द चेक भी जमा कराना होगा ताकि उन्हें यह सुविधा मिल सके ।

(च) साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का अर्थ यह आश्वासन नहीं है कि उनका चयन कर लिया जाएगा। चयन किए गए उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश सरकार द्वारा जारी किए जाएंगे।

(छ) उम्मीदवार शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए। चयन हो जाने पर उन्हें सरकार की अपेक्षानुसार स्वास्थ्य परीक्षा कराने के लिए तैयार रहना होगा और ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी को संतुष्ट करना होगा ।

(ज) उम्मीदवारों को अंतिम परिणाम के बारे में संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट / रोज़गार समाचार के माध्यम से यथासमय सूचित कर दिया जाएगा और इसलिए परिणाम के बारे में की जाने वाली अंतरिम पूछताछ अनावश्यक है तथा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। आयोग साक्षात्कार/नियुक्ति के लिए चयन न होने के कारणों के बारे में उम्मीदवारों से कोई पत्र व्यवहार नहीं करता है।

(झ) आयोग अपने विवेक से साक्षात्कार के दौरान विशेष योग्यता तथा अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को उच्चतर प्रारंभिक वेतन प्रदान कर सकता है।

(ट) अपने पक्ष में किसी भी प्रकार की अनुयाचना करने से उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण

संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षा / साक्षात्कार हॉल में मोबाइल फोन लाने पर प्रतिबंध है।

(क) सरकार ऐसे कार्य बल के लिए प्रयासरत है जिससे महिला और पुरुष कार्मिकों का संतुलन प्रदर्शित हो और महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करती है ।

(ख) यदि उम्मीदवार अपने आवेदन, उम्मीदवारी, आदि के संबंध में किसी प्रकार का मार्गदर्शन / जानकारी/ स्पष्टीकरण चाहते हैं तो वे आयोग परिसर में गेट 'सी' पर संघ लोक सेवा आयोग के सुविधा केन्द्र पर वैयक्तिक रूप से या दूरभाष सं० 011-23385271 / 011-23381125 / 011-23098543 पर कार्य दिवसों के दौरान 10.00 बजे से 17.00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।

विभिन्न प्रमाणपत्रों के लिए **निर्धारित प्रोफार्मा** के प्रपत्र आयोग की शासकीय वेबसाइट <http://www.upsc.gov.in>. पर प्रमाणपत्रों के फार्म भर्ती शीर्ष के अन्तर्गत (लिंक <http://www.upsc.gov.in./recruitment/recruitment-performs>) उपलब्ध करवाए गए हैं । उम्मीदवार उनको डाउनलोड करके तदनुसार भर सकते हैं ।